संख्या-131/2024/311/58-2-2024-1723937

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0401-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-137/बजट/2023-24 दिनांक 13.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उल्लेख करना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2401-119-04-0401-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मद में धनराशि रू0 2365.39 लाख (रू0 तेईस करोड़ पैंसठ लाख उन्तालिस हजार मात्र) की स्वीकृति के साथ आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नतवत है

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- वर्तमान में प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/कार्या में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4- प्रस्ताव में आंकडो की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

5- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

7- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

8- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

9- जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

10- विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190401 (उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2022)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2022	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
2	010	2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2022	27 सब्सिडी	23,27,89,000 (रुपये तेईस करोड़ सत्ताईस लाख नवासी हजार मात्र)
3	010	2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2022	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	010	2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2022	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
	कुल			**23,65,39,000** **(रुपये तेईस करोड़ पैंसठ लाख उनतालीस हजार मात्र)**
महायोग				23,65,39,000 (रुपये तेईस करोड़ पैंसठ लाख उनतालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

.....3/-

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **E-1-703-X-2023-24- दिनांक: 22-3-2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-131/2024(1)/311/58-2-2024-1723937, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) वित्ता नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in